

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (i)

Appearing on Page No. 1003

Dated : 13-4-91

पर्यावरण और वन विभाग
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(पर्यावरण वन और वन्य जीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1991

सा.का.नि. 253:—केन्द्रीय सरकार, लोक श्रमिकों को अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 1991 को उस तारीख के रूप में विवक्षित करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. 18(3)/91-पी एल]

र. राजामणि, सचिव

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1991

G.S.R. 253.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Public Liability Insurance Act,

1991 (6 of 1991), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1991 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 18(3)/91-PL]

R. RAJAMANI, Secy.